

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

बजट पत्रों का संक्षिप्त परिचय KEY TO THE BUDGET DOCUMENTS 2024-2025

जुलाई / July, 2024

वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF FINANCE
बजट प्रभाग
BUDGET DIVISION

बजट पत्रों का संक्षिप्त विवरण बजट 2024-2025

- 1. वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा संसद में प्रस्तुत बजट दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है:
 - क. वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस)
 - ख. अनुदान मांगें (डीजी)
 - ग. वित्त विधेयक
 - घ. राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के तहत अधिदेशित राजकोषीय नीति विवरणः
 - i. वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण
 - ii. मध्यावधि की राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण
 - ङ. व्यय बजट
 - च. प्राप्ति बजट
 - छ व्यय की रूपरेखा
 - ज. बजट का सार
 - झ. वित्त विधेयक में प्रावाधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन
 - ञ. आउटपुट आउटकम मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क
 - ट. बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं

क्रम सं. क, ख और ग में दर्शित दस्तावेज भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 112,113 और 110(क) द्वारा अधिदेशित किए गए हैं, जबिक क्रम संख्या घ(i) और (ii) में उल्लिखित दस्तावेज राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं। क्रम सं. ङ, च, छ, ज, झ, ञ और ट पर उल्लिखित अन्य दस्तावेज त्वरित या प्रासंगिक संदर्भों के लिए उपयुक्त प्रयोक्तानुकूल प्रारूप में व्याख्या के साथ अधिदेशित दस्तावेजों के समर्थन में व्याख्यात्मक विवरणों की प्रकृति के हैं। इन सभी दस्तावेजों का हिंदी पाठ भी संसद में प्रस्तुत किया जाता है। बजट दस्तावेज http://indiabudget.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

2.1 ऊपर सूचीबद्ध बजट दस्तावेजों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

क. वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस)

अनुच्छेद 112 के तहत यथाउपबंधित वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) में वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानों के साथ वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय तथा वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक आंकड़े भी दर्शाए गए हैं। प्राप्ति और भुगतान उन तीन भागों के अंतर्गत दर्शाए गए हैं जिनमें सरकारी खाते रखे जाते हैं अर्थात् (i) भारत की संचित निधि, (ii) भारत की आकस्मिकता निधि और (iii) भारत का लोक लेखा। जैसा कि भारत के संविधान में अधिदेशित किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण राजस्व खाते पर हुए व्यय को अन्य खातों पर हुए व्यय से अलग करता है। राजस्व और पूंजी भाग एक साथ मिलकर केंद्रीय बजट बनाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल प्राप्तियों और व्यय के अनुमान क्रमशः धन वापसी (रिफंड) और वसूलियों के निवल हैं।

संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा की महत्ता के साथ-साथ, राजस्व और पूंजीगत भागों की विशिष्ट विशेषताएं नीचे संक्षेप में दी गई हैं:

- (i) भारत की संचित निधि (सीएफआई) का अस्तित्व संविधान के अनुच्छेद 266 से है। सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के राजस्व, इसके द्वारा लिए गए उधार, और इसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से प्राप्तियां, मिलकर भारत की संचित निधि का निर्माण करती हैं। सरकार का समस्त व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है और संसद की विधिवत अनुमित के बिना संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है।
- (ii) संविधान का अनुच्छेद 267 भारत की एक आकस्मिकता निधि के अस्तित्व को अधिकृत करता है जो भारत के राष्ट्रपति के अधीन रखा गया अग्रदाय है ताकि संसद से प्राधिकार के लंबित रहने तक सरकार द्वारा तात्कालिक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हो पाए। इस तरह के अप्रत्याशित व्यय के लिए, कार्योत्तर संसदीय अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, और इस तरह के कार्योत्तर अनुमोदन के बाद आकस्मिकता निधि की पुनःपूर्ति के लिए संचित निधि से उतनी ही राशि प्राप्त की जाती है। संसद द्वारा यथा-अधिकृत आकस्मिकता निधि का कोष वर्तमान में ₹30,000 करोड़ है।
- (iii) सरकार द्वारा न्यास में रखे गए धन को लोक लेखा में रखा जाता है। लोक लेखा का अस्तित्व भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 से है। भविष्य निधि, लघु बचत संग्रह, सरकार की प्राप्तियां, सड़क विकास, प्राथमिक शिक्षा, अन्य आरक्षित/विशेष निधि आदि जैसे विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय के लिए अलग रखी गई हैं, लोक लेखा में रखे गए धन के उदाहरण हैं। लोक लेखा निधि, जो सरकार की नहीं है और जिसे अंततः उन व्यक्तियों और प्राधिकारियों को वापस भुगतान किया जाना है, जिन्होंने उन्हें जमा किया था, की निकासी के लिए संसदीय स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। संसद की स्वीकृति तब प्राप्त की जाती है जब संचित निधि से राशि निकाली जाती है और विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय के लिए लोक लेखा में रखी जाती हैं (विशिष्ट उद्देश्य पर वास्तविक व्यय को खर्च करने के लिए लोक लेखा से निकासी के लिए संसद की स्वीकृति के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाता हैं)। केंद्रीय बजट के राजस्व से संबंधित हिस्से को संदर्भ की आसानी के लिए नीचे (iv) में राजस्व बजट के रूप में और पूंजी से संबंधित हिस्से को संदर्भ की आसानी के लिए नीचे (v) पूंजीगत बजट के रूप में बांटा जा सकता है।
- (iv) राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और गैर-कर राजस्व) और राजस्व व्यय शामिल होते हैं। कर राजस्व में संघ द्वारा लगाए गए करों और अन्य शुल्कों की आय शामिल होती है। वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाए गए राजस्व प्राप्तियों के अनुमान में वित्त विधेयक में किए गए विभिन्न कराधान प्रस्तावों के प्रभाव को हिसाब में लिया गया है। सरकार की गैर-कर प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकार द्वारा किए गए निवेश पर ब्याज और लाभांश, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियां शामिल हैं। राजस्व व्यय सरकारी विभागों के सामान्य संचालन और विभिन्न सेवाएं प्रदान करने, ऋण पर ब्याज का भुगतान करने, सब्सिडी देने, सहायता अनुदान आदि के लिए है। मोटे तौर पर, वह व्यय जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार के लिए आस्तियों का निर्माण नहीं होता है, राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य पक्षकारों को दिए गए सभी अनुदानों को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है, भले ही कुछ अनुदानों का उपयोग पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए किया जा सकता है।
- (v) पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान मिलकर पूंजीगत बजट बनाते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार द्वारा लिए गए ऋण (इन्हें बाजार ऋण कहा जाता है), सरकार द्वारा ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम

से उधार, विदेशी सरकारों और निकायों से प्राप्त ऋण, विनिवेश प्राप्तियां और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और अन्य पक्षकारों से ऋण की वसूली होती है। पूंजीगत भुगतान में भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण जैसी आस्तियों के अधिग्रहण पर पूंजीगत व्यय, साथ ही शेयरों, आदि में निवेश, और केंद्र सरकार द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों, सरकारी कंपनियों, निगमों और अन्य पक्षकारों को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

(vi) लेखांकन वर्गीकरण

- वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और संवितरणों का अनुमान तथा अनुदान की मांगों में व्यय का अनुमान संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत संदर्भित लेखांकन वर्गीकरण के अनुसार दिखाया जाता है।
- वार्षिक वित्तीय विवरण कुछ संवितरणों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत का संविधान अधिदेशित करता है कि व्यय की मदें जैसे कि राष्ट्रपित की परिलिख्यां, राज्य सभा के सभापित और उपसभापित और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन, भत्ते और पेंशन, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज और पुनर्भुगतान और न्यायालयों के आदेशों को पूरा करने के लिए किए गए भुगतान आदि, भारत की संचित निधि पर भारित किए जा सकते हैं और उन्हें लोकसभा द्वारा स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

ख. अनुदानों की मांग

- (i) संविधान के अनुच्छेद 113 अधिदेशित करता है कि भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय के अनुमान जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया गया और जिसके लिए लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है, को अनुदान की मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। अनुदान की मांगों को वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आम तौर पर, प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के लिए अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है। तथापि, व्यय की प्रकृति के आधार पर किसी मंत्रालय या विभाग के लिए एक से अधिक मांगें प्रस्तुत की जा सकती हैं। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक अलग मांग प्रस्तुत की जाती है। बजट 2024-25 में अनुदान की 102 मांगें हैं। प्रत्येक मांग प्रारंभ में (i) 'स्वीकृत' और 'मारित' व्यय; (ii) 'राजस्व' और 'पूंजीगत' व्यय और (iii) व्यय की राशि के सकल आधार पर कुल योग जिसके लिए मांग प्रस्तुत की गई है, का योग अलग-अलग देती है। इसके बाद विभिन्न प्रमुख लेखा शीर्षों के तहत व्यय का अनुमान लगाया जाता है। वसूली की राशि भी दर्शाई जाती है। सकल राशि से वसूलियों को कम करने के बाद व्यय की निवल राशि को भी दिखाया जाता है। इस दस्तावेज़ के आरंभ में अनुदान मांगों का सारांश दिया गया है, जबिक 'नई सेवा' या 'नई सेवा लिखत' जैसे कि नई कंपनी का गठन, उपक्रम या नई योजना, आदि, यदि कोई हो, का विवरण दस्तावेज़ के अंत में इंगित किया गया है।
- (ii) प्रत्येक मांग में आम तौर पर किसी सेवा के लिए आवश्यक कुल प्रावधान अर्थात राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान और सेवा से संबंधित ऋण और अग्रिम के प्रावधान शामिल होते हैं। इसमें सेवा के लिए प्रावधान पूरी तरह से भारत की संचित निधि से प्रभारित व्यय के लिए है, उदाहरणार्थ मांग से अलग ब्याज भुगतान (अनुदान मांग संख्या 39), एक अलग विनियोजन, उस व्यय के लिए प्रस्तुत किया जाता है और इसे लोकसभा द्वारा स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जहां किसी सेवा संबंधी व्यय में व्यय की 'स्वीकृत' और 'प्रभारित' दोनों मदें शामिल हैं, प्रभारित मदों को भी उस सेवा के लिए प्रस्तुत मांग में शामिल किया जाता है, लेकिन उस मांग में 'स्वीकृत' और 'प्रभारित' प्रावधान अलग-अलग दिखाए जाते हैं।

ग. वित्त विधेयक

संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के समय, संविधान के अनुच्छेद 110 (1) (क) की अपेक्षा को पूरा करने के लिए एक वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या बजट में प्रस्तावित कर के विनियमन का विवरण होता है। इसमें बजट से संबंधित अन्य प्रावधान भी शामिल होते हैं जिन्हें धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में यथापरिभाषित वित्त विधेयक एक धन विधेयक है।

घ. एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के तहत अधिदेशित राजकोषीय नीति विवरण

i. वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत संसद में वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अंतर्निहित अवधारणाओं के विवरण के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं का आकलन शामिल है। इसमें जीडीपी विकास दर, घरेलू अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र की स्थिरता, केंद्र सरकार के राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र संतुलन के संबंध में एक आकलन भी शामिल है।

ii. मध्यावधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति संबंधी रणनीतिक विवरण

मध्याविध राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति संबंधी रणनीतिक विवरण को राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह बाजार कीमतों पर जीडीपी के संबंध में विशिष्ट वित्तीय संकेतकों के लिए तीन साल के प्रगतिशील लक्ष्य निर्धारित करता है अर्थात् (i) राजकोषीय घाटा, (ii) राजस्व घाटा, (iii) प्राथमिक घाटा (iv) कर राजस्व (v) गैर-कर राजस्व और (vi) केंद्र सरकार के ऋण। विवरण में अंतर्निहित अवधारनाएं राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन का आकलन और उत्पादक आस्तियों के निर्माण के लिए बाजार उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग शामिल है। यह मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए, कराधान, व्यय, उधार, गारंटी आदि से संबंधित सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताओं को भी रेखांकित करता है। विवरण में यह उल्लेख किया जाता है कि वर्तमान राजकोषीय नीतियां किस प्रकार सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और इसमें प्रमुख राजकोषीय उपायों में किसी भी बड़े परिवर्तन के औचित्य को भी दर्शाया जाता है।

2.2 व्याख्यात्मक दस्तावेजः

बजट की प्रमुख विशेषताओं की अधिक व्यापक समझ सुगम करने के लिए, कुछेक अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। इन्हें संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया गया है:

ङ. व्यय बजट

किसी योजना या कार्यक्रम के लिए किए गए प्रावधान अनुदानों की मांग में राजस्व और पूंजीगत खण्डों में कई प्रमुख शीर्षों में फैले हो सकते हैं। व्यय बजट में, किसी योजना/कार्यक्रम के लिए किए गए अनुमानों को एक साथ लाया जाता है और एक स्थान पर राजस्व और पूंजी के आधार पर निवल आधार पर दिखाया जाता है। अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों के व्यय को 2 व्यापक प्रावधानों (i) केंद्र के व्यय और (ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अंतरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। केंद्र के व्यय के प्रावधानों के तहत 3 उप-वर्गीकरण किये गये हैं यथाः (क) केंद्र का स्थापना व्यय (ख) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और (iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और स्वायत्त निकायों पर होने वाले व्यय समेत अन्य केंद्रीय व्यय।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाले अंतरण के प्रावधानों में निम्नलिखित 3 उप-वर्गीकरण शामिल हैं:

- (क) केंद्र प्रायोजित योजना
- (ख) वित्त आयोग अंतरण
- (ग) राज्यों को होने वाला अन्य अंतरण

व्यय बजट में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित व्यय के अंतर्निहित उद्देश्यों को समझने के लिए, इस खंड में उपयुक्त व्याख्यात्मक नोट शामिल किए गए हैं।

च. प्राप्ति बजट

वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल प्राप्तियों के अनुमानों का आगे "प्राप्ति बजट" दस्तावेज़ में विश्लेषण किया जाता है। ऐसे दस्तावेज़ में कर और गैर-कर राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण दिया गया होता है और अनुमानों का विश्लेषण भी किया गया होता है। जैसा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2004 के तहत अधिदेशित है, कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के बकाया पर एक विवरण भी होता है। प्राप्ति एवं व्यय के रुझानों के साथ-साथ घाटे के संकेतकों, राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) से संबंधित विवरण, देनदारियों का विवरण, सरकार द्वारा दी गई गारंटी का विवरण, आस्ति का विवरण और बाहरी सहायता का विवरण भी प्राप्ति बजट में दिया गया होता है। इसमें केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण भी शामिल है, जो कराधान प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न कर प्रोत्साहनों के राजस्व निहितार्थ का विश्लेषण प्रदान करता है (इसे पूर्व में "राजस्व छूट का विवरण" कहा जाता था और एक अलग विवरण के रूप में दर्शाया गया है)। यह विवरण 2016-17 के बजट से प्राप्तियों के बजट के अनुलग्नक के रूप में दिया गया है। यह दस्तावेज़ अतीत में तेल और उर्वरक सब्सिडी के बदले जारी प्रतिभूतियों (बांड) के कारण सरकार की देनदारियों को भी दर्शाता है।

छ. व्यय की रूपरेखा

- (i) पहले इस दस्तावेज़ का शीर्षक व्यय बजट खंड-I था। इसे योजना-गैर योजना के विलय के निर्णय के अनुरूप फिर से तैयार किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यय और मांगों के बीच कुछ अन्य मदों के योग के बारे में भी बताया गया है।
- (ii) वर्तमान लेखा और बजट प्रक्रिया के अंतर्गत, प्राप्तियों के कुछ वर्गों जैसे कि एक विभाग के द्वारा दूसरे विभाग को किया गया भुगतान और पूंजीगत परियोजनाओं या स्कीमों की प्राप्तियों में से प्राप्तकर्त्ता विभाग के व्यय को घटा दिया जाता है। जहां अनुदान मांग में निहित व्यय का अनुमान सकल राशि से संबंधित होता है वहीं दूसरी ओर वार्षिक वितीय विवरण में निहित व्यय का आकलन वस्तूलियों का निवल होता है। ऐसे दस्तावेज में प्राप्तियों से संबंधित निवल व्यय जैसी अन्य परिशुद्धियां भी की गयी होती हैं जिससे कि प्राप्तियों और व्यय सम्बन्धी आंकड़ों के अतिरेक विवरण से बचा जा सके। इस दस्तावेज में ऐसे विवरण दिए गये हैं जिनमें बजट अनुमान 2023-24 और संशोधित अनुमान 2023-2024 के बीच होने वाले प्रमुख अंतरों के साथ-साथ संशोधित अनुमान 2023-24 और बजट अनुमान 2024-25 के बीच रहने वाले प्रमुख अंतरों को भी दर्शाया गया है और इसके कारणों को भी संक्षेप में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में योगदान और विभिन्न सरकारी विभागों की स्थापना की अनुमानित संख्या और उनके प्रावधान अलग-अलग विवरणों में दर्शाए गए हैं। प्रत्येक में (i) जेंडर बजटिंग (ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए योजनाएं जिनमें अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसएस) और जनजातीय उप योजना

(टीएसएस) आवंटन और (iii) बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं भी शामिल हैं, जिनको दर्शाने वाला प्रत्येक विवरण भी इस दस्तावेज़ में शामिल है। इसमें (i) स्वायत्त संस्थाओं के संबंध में व्यय विवरण और बजट अनुमान और (ii) लोक लेखा आदि में कुछ महत्वपूर्ण निधियों के विवरण भी शामिल हैं।

(iii) योजना व्यय

योजना व्यय केन्द्र सरकार के कुल व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इस व्यय की रूपरेखा में प्रत्येक मंत्रालय के विभिन्न श्रेणियों में किये जाने वाले कुल प्रावधानों को दर्शाया गया होता है जैसे कि-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, केन्द्र क्षेत्र योजनाएं, स्थापना एवं अन्य केन्द्रीय व्यय, राज्यों को किया गया अंतरण आदि और इसमें कुछ प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के बजट प्रावधानों को भी प्रकाशित किया गया होता है। इस दस्तावेज में विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का भी विवरण दिया गया होता है।

(iv) वाणिज्यिक विभाग

रेलवे सरकार का प्रमुख विभागीय रूप से संचालित वाणिज्यिक उपक्रम है। रेल मंत्रालय का बजट और रेल व्यय से संबंधित अनुदान मांगों को वित्तीय वर्ष 2017-18 से केंद्रीय बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाता है। रेलवे के अनुदान की मांग के विभिन्न पहलुओं और रेलवे के संबंध में हित के अन्य विवरणों को साथ लाने के लिए व्यय प्रोफाइल में रेलवे पर एक अलग खंड है। रेलवे की कुल प्राप्तियों और व्यय को भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है। अन्य व्यावसायिक रूप से संचालित विभागीय उपक्रमों का विवरण भी एक विवरण में दर्शाया गया है। प्राप्तियों और व्यय दोनों के अधिक विवरण से बचने के लिए व्यय को व्यय प्रोफ़ाइल और व्यय बजट में, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियों को घटाकर दर्शाया गया है।

- (v) वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाई गई रक्षा मंत्रालय की प्राप्तियों और व्यय को रक्षा मंत्रालय की विस्तृत अनुदान मांगों के साथ प्रस्तुत रक्षा सेवा अनुमान दस्तावेज में अधिक विस्तार से बताया गया है।
- (vi) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अलावा अन्य निकायों को दिए गए अनुदानों का विवरण विभिन्न मंत्रालयों की विस्तृत अनुदान मांगों के साथ संलग्न गैर-सरकारी निकायों को भुगतान किए गए सहायता अनुदान के विवरण में दिया गया है।
- (vii) व्यय की रूपरेखा में 'लोक उद्यमों के संसाधनों' (पीई) पर विवरण सं. 25 भी शामिल है। इसमें लोक उद्यमों के वे बजटीय और बजटेतर संसाधन (आईईबीआर) शामिल हैं जो उक्त वर्ष के दौरान लोक उद्यम द्वारा आंतरिक रूप से सृजित किए जाते हैं और/या इसके स्वयं के तुलन पत्र की क्षमता पर जुटाए जाते हैं।
- (viii) व्यय की रूपरेखा में बजटेतर संसाधन या ईबीआर पर विवरण (सं. 27) शामिल है। यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः चुकाए गए ऐसे बंध-पत्रों के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों से संबंधित है, जिनमें मूलधन और ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान/इनकी चुकौती को भारत सरकार द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण से पूरा किया जाता है। सरकार द्वारा सक्रिय प्रकटीकरण के भाग के रूप में वित्त वर्ष 2024-25 से एक नया विवरण (संख्या 27क) सम्मिलित किया गया है। यह भारत सरकार के चुनिंदा व्यावसायिक रूप से संचालित उपक्रमों के बजटेतर संसाधनों (ईबीआर) पर एक विवरण है, जो एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 2(कक) (III) के अनुसार केंद्र सरकार के ऋण का हिस्सा नहीं हैं।

ज. बजट का सार

- (i) यह दस्तावेज़ कर राजस्व और अन्य प्राप्तियों के विस्तृत विवरण के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों को संक्षेप में दिखाता है। यह दस्तावेज़ केंद्र सरकार द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरित किए गए संसाधनों का विवरण प्रदान करता है। यह दस्तावेज़ केंद्र सरकार के राजस्व घाटे, प्राथमिक घाटे और राजकोषीय घाटे को भी दर्शाता है। राजस्व प्राप्तियों की तुलना में सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता सरकार का राजस्व घाटा होता है। एक ओर, पुनर्भुगतानों को घटाकर राजस्व, पूंजी और ऋणों के रूप में सरकार के कुल व्यय तथा दूसरी ओर, सरकार को अर्जित होने वाली राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियां, जो उधारी प्रकृति की नहीं होती, के बीच का अंतर सकल राजकोषीय घाटा होता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा है जो ब्याज भुगतानों को घटाकर प्राप्त होता है।
- (ii) दस्तावेज़ में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरित कुल संसाधनों की मात्रा और प्रकृति (केंद्रीय करों, अनुदान/ऋण में हिस्सा) को दर्शाने वाला एक विवरण भी शामिल है। करों के हिस्से, सहायता अनुदान और ऋण के रूप में इन अंतरणों का विवरण व्यय की रूपरेखा (विवरण संख्या 18) में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारी मात्रा में अनुदान और ऋण वित्त मंत्रालय द्वारा वितरित किए जाते हैं और मांग 'राज्यों को अंतरण' और मांग 'दिल्ली को अंतरण', 'पुडुचेरी को अन्तरण' और 'जम्मू और कश्मीर को अंतरण' की मांग में शामिल हैं। अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए अनुदान और ऋण इनकी संबंधित मांगों में परिलक्षित होते हैं।

झ. वित्त विधेयक में प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन

वित्त विधेयक में शामिल कराधान प्रस्तावों को समझने में सुविधा के लिए, प्रावधानों और उनके निहितार्थों को वित्त विधेयक में प्रावधानों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन नामक दस्तावेज में विस्तृत वर्णन किया गया है।

ञ. आउटपुट आउटकम मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क

"आउटपुट आउटकम मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क" में विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए आउटपुट और आउटकम को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें इनके लिए मापने योग्य संकेतकों और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विशिष्ट लक्ष्य दिए गए हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (सीएसएस) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए 500 करोड़ रुपए और अधिक के वित्तीय परिव्यय के साथ आउटपुट आउटकम मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) बजट 2024-2025 के साथ सदन में रखी जाती है। 500 करोड़ रुपए से कम परिव्यय वाली सीएस और सीएसएस योजनाओं के संबंध में योजनाओं के मदवार व्यय में साथ आउटपुट आउटकम मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क संबंधित मंत्रालय /विभाग द्वारा तैयार किया जाता है और इसे विस्तृत अनुदान की मांगों (डीडीजी) के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

ट. बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं

यह दस्तावेज़ सरकार की आर्थिक दृष्टि और विकास तथा कल्याण के लिए अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख नीतिगत पहलों का एक रनैपशॉट सारांश है । वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख बजट प्रस्तावों के विहंगावलोकन के साथ-साथ सरकारी वित्त के राजकोषीय समेकन और प्रबंधन में प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां भी दस्तावेज़ में शामिल की गई हैं।

KEYTO BUDGET DOCUMENTS BUDGET 2024-2025

- 1. The list of Budget documents presented to the Parliament, besides the Finance Minister's Budget Speech, is given below:
 - A. Annual Financial Statement (AFS)
 - B. Demands for Grants (DG)
 - C. Finance Bill
 - D. Fiscal Policy Statements mandated under Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2023:
 - i. Macro-Economic Framework Statement
 - ii. Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement
 - E. Expenditure Budget
 - F. Receipt Budget
 - G. Expenditure Profile
 - H. Budget at a Glance
 - I. Memorandum Explaining the Provisions in the Finance Bill
 - J. Output Outcome Monitoring Framework
 - K. Key Features of Budget 2024-25

The documents shown at Serial Nos. A, B, and C are mandated by Article 112,113 and 110 (a) of the Constitution of India respectively, while the documents at Serial No. D (i) and (ii) are presented as per the provisions of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003. Other documents at Serial Nos. E, F, G, H, I, J and K are in the nature of explanatory statements supporting the mandated documents with narrative in a user-friendly format suited for quick or contextual references. Hindi version of all these documents is also presented to the Parliament. The Budget documents can be accessed at https://indiabudget.gov.in.

2.1 A brief description of the Budget documents listed above is as follows:

A. Annual Financial Statement (AFS)

The Annual Financial Statement (AFS), as provided under Article 112, shows the estimated receipts and expenditure of the Government of India for 2024-25 along with estimates for 2023-24 as also actuals for the year 2022-23. The receipts and disbursements are shown under three parts in which Government Accounts are kept viz., (i) The Consolidated Fund of India, (ii) The Contingency Fund of India and (iii) The Public Account of India. The Annual Financial Statement distinguishes the expenditure on revenue account from the expenditure on other accounts, as is mandated in the Constitution of India. The Revenue and the Capital sections together, make the Union Budget. The estimates of receipts and expenditure included in the Annual Financial Statement are net of refunds and recoveries respectively.

The significance of the Consolidated Fund, the Contingency Fund and the Public Account as well as the distinguishing features of the Revenue and the Capital portions are given below briefly:

- (i) The Consolidated Fund of India (CFI) draws its existence from Article 266 of the Constitution. All revenues received by the Government, loans raised by it, and also receipts from recoveries of loans granted by it, together form the Consolidated Fund of India. All expenditure of the Government is incurred from the Consolidated Fund of India and no amount can be drawn from the Consolidated Fund without due authorization from the Parliament.
- (ii) Article 267 of the Constitution authorizes the existence of a Contingency Fund of India which is an imprest placed at the disposal of the President of India to facilitate meeting of urgent unforeseen expenditure by the Government pending authorization from the Parliament. Parliamentary approval for such unforeseen expenditure is obtained, expost-facto, and an equivalent amount is drawn from the Consolidated Fund to recoup the Contingency Fund after such ex-post-facto approval. The corpus of the Contingency Fund as authorized by Parliament presently stands at 30,000 crore.
- (iii) Moneys held by Government in trust are kept in the Public Account. The Public Account draws its existence from Article 266 of the Constitution of India. Provident Funds, Small Savings collections, receipts of Government set apart for expenditure on specific objects such as road development, primary education, other Reserve/Special Funds etc., are examples of moneys kept in the Public Account. Public Account funds that do not belong to the Government and have to be finally paid back to the persons and authorities, who deposited them, do not require Parliamentary authorization for withdrawals. The approval of the Parliament is obtained when amounts are withdrawn from the Consolidated Fund and kept in the Public Account for expenditure on specific objects (the actual expenditure on the specific object is again submitted for vote of the Parliament for withdrawal from the Public Account for incurring expenditure on the specific objects). The Union Budget can be demarcated into the part pertaining to revenue which is for ease of reference termed as Revenue Budget in (iv) below and the part pertaining to Capital which is for ease of reference termed as Capital Budget in (v) below.
- (iv) The Revenue Budget consists of the revenue receipts of the Government (Tax revenues and Non-Tax revenues) and the revenue expenditure. Tax revenues comprise proceeds of taxes and other duties levied by the Union. The estimates of revenue receipts shown in the Annual Financial Statement take into account the effect of various taxation proposals made in the Finance Bill. Non-tax receipts of the Government mainly consist of interest and dividend on investments made by the Government, fees and other receipts for services rendered by the Government. Revenue expenditure is for the normal running of Government Departments and for rendering of various services, making interest payments on debt, meeting subsidies, grants in aid, etc. Broadly, the expenditure which does not result in creation of assets for the Government of India, is treated as revenue expenditure. All grants given to the State Governments/Union Territories and other parties are also treated as revenue expenditure in the books of Union Government even though some of the grants may be used for creation of capital assets by Grantee bodies / entities.

(v) Capital receipts and capital payments together constitute the Capital Budget. The capital receipts are loans raised by the Government (these are termed as market loans), borrowings by the Government through the sale of Treasury Bills, the loans received from foreign Governments and bodies, recoveries of loans from State and Union Territory Governments and other parties and miscellaneous capital Receipts etc. Capital payments consist of capital expenditure on acquisition of assets like land, buildings, machinery, equipment, as also investments in shares, etc., and loans and advances granted by the Central Government to the State and the Union Territory Governments, Government companies, Corporations and other parties.

(vi) Accounting Classification

- The estimates of receipts and disbursements in the Annual Financial Statement and of expenditure in the Demands for Grants are shown according to the accounting classification referred to under Article 150 of the Constitution.
- The Annual Financial Statement shows, certain disbursements distinctly, which are charged on the Consolidated Fund of India. The Constitution of India mandates that items of expenditure such as emoluments of the President, salaries and allowances of the Chairman and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha and the Speaker and the Deputy Speaker of the Lok Sabha, salaries, allowances and pensions of the Judges of the Supreme Court, the Comptroller and Auditor-General of India and the Central Vigilance Commission, interest on and repayment of loans raised by the Government and payments made to satisfy decrees of courts etc., may be charged on the Consolidated Fund of India and are not required to be voted by the Lok Sabha.

B. Demands for Grants (DG)

(i) Article 113 of the Constitution mandates that the estimates of expenditure from the Consolidated Fund of India included in the Annual Financial Statement and required to be voted by the Lok Sabha, be submitted in the form of Demands for Grants. The Demands for Grants are presented to the Lok Sabha along with the Annual Financial Statement. Generally, one Demand for Grant is presented in respect of each Ministry or Department. However, more than one Demand may be presented for a Ministry or Department depending on the nature of expenditure. With regard to Union Territories without Legislature, a separate Demand is presented for each of such Union Territories. In Budget 2024-25 there are 102 Demands for Grants. Each Demand initially gives separately the totals of (i) 'voted' and 'charged' expenditure; (ii) the 'revenue' and the 'capital' expenditure and (iii) the grand total on gross basis of the amount of expenditure for which the Demand is presented. This is followed by the estimates of expenditure under different major heads of account. The amounts of recoveries are also shown. The net amount of expenditure after reducing the recoveries from the gross amount is also shown. A summary of Demands for Grants is given at the beginning of this document, while details of 'New Service' or 'New Instrument of Service' such as, formation of a new company, undertaking or a new scheme, etc., if any, are indicated at the end of the document.

(ii) Each Demand normally includes the total provisions required for a service, that is, provisions on account of revenue expenditure, capital expenditure, grants to State and Union Territory Governments and also loans and advances relating to the service. Where the provision for a service is entirely for expenditure charged on the Consolidated Fund of India, for example, Interest Payments (Demand for Grant No. 39), a separate Appropriation, as distinct from a Demand, is presented for that expenditure and it is not required to be voted by the Lok Sabha. Where, however, expenditure on a service includes both 'voted' and 'charged' items of expenditure, the latter are also included in the Demand presented for that service but the 'voted' and 'charged' provisions are shown separately in that Demand.

C. Finance Bill

At the time of presentation of the Annual Financial Statement before the Parliament, a Finance Bill is also presented in fulfillment of the requirement of Article 110 (1)(a) of the Constitution, detailing the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of taxes proposed in the Budget. It also contains other provisions relating to Budget that could be classified as Money Bill. A Finance Bill is a Money Bill as defined in Article 110 of the Constitution.

D. Fiscal Policy Statements mandated under FRBM Act, 2003

i. Macro-Economic Framework Statement

The Macro-Economic Framework Statement is presented to Parliament under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 and the rules made thereunder. It contains an assessment of the growth prospects of the economy along with the statement of underlying assumptions. It also contains an assessment regarding the GDP growth rate, the domestic economy and the stability of the external sector of the economy, fiscal balance of the Central Government and the external sector balance of the economy.

ii. Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement

The Medium-Term Fiscal Policy Statement cum Fiscal Policy Strategy Statement is presented to Parliament under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003. It sets out the three-year rolling targets for specific fiscal indicators in relation to GDP at market prices, namely (i) Fiscal Deficit, (ii) Revenue Deficit, (iii) Primary Deficit (iv) Tax Revenue (v) Non-tax Revenue and (vi) Central Government Debt. The Statement includes the underlying assumptions, an assessment of the balance between revenue receipts and revenue expenditure and the use of capital receipts including market borrowings for the creation of productive assets. It also outlines for the existing financial year, the strategic priorities of the Government relating to taxation, expenditure, borrowings, guarantees etc. The Statement explains how the current fiscal policies are in conformity with sound fiscal management principles and gives the rationale for any major deviation in key fiscal measures.

2.2 Explanatory Documents:

To facilitate a more comprehensive understanding of the major features of the Budget, certain other explanatory documents are presented. These are briefly summarized below:

E. Expenditure Budget

The provisions made for a scheme or a programme may be spread over a number of Major Heads in the Revenue and Capital sections in a Demand for Grants. In the Expenditure Budget, the estimates made for a scheme/programme are brought together and shown on a net basis on Revenue and Capital basis at one place. Expenditure of individual Ministries/Departments are classified under 2 broad Umbrellas (i) Centres' Expenditures and (ii) Transfers to States/ Union Territories (UTs). Under the Umbrella of Centres' Expenditure there are 3 sub-classification (a) Establishment expenditure of the Centre (b) Central Sector Schemes and (iii) Other Central Expenditure including those on Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and Autonomous Bodies.

The Umbrella of Transfers to States/UTs includes the following 3 sub- classifications:

- (a) Centrally Sponsored Scheme
- (b) Finance Commission Transfers
- (c) Other Transfer to States

To understand the objectives underlying the expenditure proposed for various schemes and programmes in the Expenditure Budget, suitable explanatory notes are included in this volume.

F. Receipt Budget

Estimates of receipts included in the Annual Financial Statement are further analyzed in the document "Receipt Budget". The document provides details of tax and non-tax revenue receipts and capital receipts and explains the estimates. The document also provides a statement on the arrears of tax revenues and non-tax revenues, as mandated under the Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2004. Trend of receipts and expenditure along with deficit indicators, statement pertaining to National Small Savings Fund (NSSF), Statement of Liabilities, Statement of Guarantees given by the government, statements of Assets and details of External Assistance are also included in Receipts Budget. This also includes the Statement of Revenue Impact of Tax Incentives under the Central Tax System which seeks to list the revenue impact of tax incentives that are proposed by the Central Government (This was earlier called 'Statement of Revenue Foregone' and brought out as a separate statement). The statement is given as an annexure to the Receipts Budget from Budget 2016-17 onwards. This document also shows liabilities of the Government on account of securities (bonds) issued in lieu of oil and fertilizer subsidies in the past.

G. Expenditure Profile

- (i) This document was earlier titled Expenditure Budget Vol-I. It has been recast in line with the decision on Plan-Non Plan merger. It gives an aggregation of various types of expenditure and certain other items across demands.
- (ii) Under the present accounting and budgetary procedures, certain classes of receipts, such as payments made by one Department to another and receipts of capital projects or schemes, are taken in reduction of the expenditure of the receiving Department. While the estimates of expenditure included in the Demands for Grants are for the gross amounts, the estimates of expenditure included in the Annual Financial Statement

are net of recoveries. The document makes certain other refinements such as netting expenditure of related receipts so that overstatement of receipts and expenditure figures is avoided. The document contains statements indicating major variations between BE 2023-24 and RE 2023-24 as well as between RE 2023-24 and BE 2024-25 with brief reasons. Contributions to International bodies and estimated strength of establishment of various Government Departments and provision thereof are shown in separate Statements. A statement each, showing (i) Gender Budgeting (ii) Schemes for Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes including Scheduled Caste Sub Scheme (SCSS) and Tribal Sub Scheme (TSS) allocations and (iii) Schemes for the Welfare of Children are also included in this document. It also has statements on (i) the expenditure details and budget estimates regarding Autonomous Bodies and (ii) the details of certain important funds in the Public Account etc.

(iii) Scheme Expenditure

Scheme expenditure forms a sizeable proportion of the total expenditure of the Central Government. The Expenditure Profile gives the total provisions for each of the Ministries arranged under the various categories- Centrally Sponsored Schemes, Central Sector Schemes, Establishment, Other Central Expenditure, Transfer to States etc. and highlights the budget provisions for certain important programmes and schemes. Statements showing externally aided projects are also included in the document.

(iv) Commercial Departments

Railways is the principal departmentally-run commercial undertaking of Government. The Budget of the Ministry of Railways and the Demands for Grants relating to Railway expenditure are presented to the Parliament together with the Union Budget from the financial year 2017-18 onwards. The Expenditure Profile has a separate section on Railways to capture the salient aspects of the demand for grants of Railways and other details of interest regarding Railways. The total receipts and expenditure of the Railways are, incorporated in the Annual Financial Statement of the Government of India. Details of other commercially run departmental undertakings are also shown in a statement. Expenditure is depicted in the Expenditure Profile and Expenditure Budget, net of receipts of the Departmental Commercial Undertakings, in order to avoid overstatement of both receipts and expenditure.

- (v) The receipts and expenditure of the Ministry of Defence Demands shown in the Annual Financial Statement, are explained in greater detail in the document Defence Services Estimates presented with the Detailed Demands for Grants of the Ministry of Defence.
- (vi) The details of grants given to bodies other than State and Union Territory Governments are given in the statements of Grants-in-aid paid to non-Government bodies appended to Detailed Demands for Grants of the various Ministries.
- (vii) Expenditure Profile also includes Statements No. 25 On 'Resources of Public Enterprises (PEs)'. It captures the Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) of the PEs that are generated internally and /or raised by the PE on the strength of its own balance sheet during the year.
- (viii) Expenditure profile includes a Statement (No. 27) on Extra Budgetary Resources EBRs. It relates to resources raised through 'Government of India (GoI) fully serviced bonds', where the repayments/ service of both principal and interest, is met by Government of India from the Annual Financial Statement. A new Statement (No. 27A) has been inserted

from FY 2024-25 as part of proactive disclosure by the Government. It is a statement on Extra-Budgetary Resources (EBRs) of select commercially- run undertakings of Government of India which are not part of Central Government debt as per section 2(aa) (iii) of FRBM Act, 2003.

H. Budget at a Glance

- (i) This document shows in brief, receipts and disbursements along with broad details of tax revenues and other receipts. This document provides details of resources transferred by the Central Government to State and Union Territory Governments. This document also shows the revenue deficit, the primary deficit and the fiscal deficit of the Central Government. The excess of Government's revenue expenditure over revenue receipts constitutes revenue deficit of Government. The difference between the total expenditure of Government by way of revenue, capital and loans net of repayments on the one hand and revenue receipts of Government and capital receipts which are not in the nature of borrowing but which accrue to Government on the other, constitutes gross fiscal deficit. Primary deficit is fiscal deficit reduced by the interest payments.
- (ii) The document also includes a statement indicating the quantum and nature (share in Central Taxes, grants/loan) of the total Resources transferred to States and Union Territory Governments. Details of these transfers by way of share of taxes, grants-inaid and loans are given in Expenditure Profile (Statement No.18). Bulk of grants and loans to States/UTs are disbursed by the Ministry of Finance and are included in the Demand 'Transfers to States' and in the Demand 'Transfer to Delhi', Transfer to Puducherry' and Transfer to Jammu & Kashmir. The grants and loans released to States and Union Territories by other Ministries/ Departments are reflected in their respective Demands.

I. Memorandum Explaining the Provisions in the Finance Bill

To facilitate understanding of the taxation proposals contained in the finance Bill, the provisions and their implications are explained in the document titled Memorandum Explaining the Provisions in the Finance Bill.

J. Output Outcome Monitoring Framework

The "Output Outcome Monitoring Framework" has clearly defined outputs and outcomes for various Central Sector Schemes and Centrally Sponsored Schemes with measurable indicators against them and specific targets for FY 2024-25. Output-Outcome Monitoring Framework (OOMF) for Central Sector Schemes (CSs) and Centrally Sponsored Schemes (CSSs) with financial outlay of 500 crore and more is laid in the House along with Budget 2024-25. With regard to CS and CSS schemes with outlay less than 500 crore the output-outcome monitoring framework with itemized expenditure of the schemes is prepared by the respective Ministry/Department and the same will be presented in the Parliament along with the Detailed Demand for Grants (DDG).

K. Key Features of Budget 2024-25

The Document is a snapshot summary of the economic vision of the Government and the major policy initiatives in the thrust areas of the economy for growth and welfare. Major milestones achieved in fiscal consolidation and management of the Government finances along with a bird's eye view of the key budget proposals for the fiscal year 2024-25 are also included in the document.

